



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67539

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10777 सन् 2026

विशाल पाण्डेय @ सौरभ पाण्डेय

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- सर्वेश कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री यादवेन्द्र कृष्ण, अधिवक्ता ने प्रथम सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से, श्री यादवेन्द्र कृष्ण, विद्वान अधिवक्ता को प्रथम सूचनादाता की ओर से तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 263 सन् 2025, धाराएँ 191(2), 191(3), 190, 103(1), 352, 351(3) बी.एन.एस., पुलिस थाना कैंट, जिला प्रयागराज में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना सहित दाखिल किया गया है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक और पाँच अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों पर उनके मध्य कुछ झड़प होने के पश्चात मृतक पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का आरोप है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गागन के बयान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का मात्र अवलोकन, जो कथित रूप से घटना के समय उपस्थित था, यह दर्शाता है कि मृतक एवं समस्त अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के मध्य तीव्र वाद-विवाद हुआ था और किसी ने मृतक पर गोली चलाई थी, अतः किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृत्युपूर्व परीक्षण रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक को एकल आग्नेयास्त्र की चोट आई थी और आग्नेयास्त्र भी सह-अभियुक्त हर्ष कुमार पाण्डेय के इशारे पर बरामद किया गया है, अतः आवेदक को इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त अर्जुन @ ढेरू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10182 सन् 2026 में दिनांक 25.03.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदक भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20.12.2025 से कारागार में बंद है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया किंतु आवेदक की सह-अभियुक्त अर्जुन @ ढेरू के साथ समता का विवाद नहीं कर सके, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टि में रखते हुए और विचारण न्यायालयों के समक्ष कारागारों की भीड़भाड़ तथा आपराधिक प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता को ध्यान में रखते हुए **तथा कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **विशाल पाण्डेय @ सौरभ पाण्डेय** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए, विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और प्रतिभूतियों की पहचान, प्रस्थिति एवं आवास का प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई एवं संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

12. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को उन्मोचन आदेश प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के **नीतिगत रणनीति, संदर्भः स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023** को पारित आदेश, जो **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रतिवेदित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक



प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

ए.कु०

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।